न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29 / 2020 नामान्तरकरण अपील

1. किशनलाल पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

<u>अपीलान्ट</u>

बनाम

1. केदार पुत्र हरसहाय
2. कालू पुत्र कल्याण
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

<u>रेस्पोडेन्ट्स</u>

<u>(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सिकराय दिनांक 12.5.1993 नामान्तरकरण संख्या 133 ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय)</u>

उपस्थिति :— 1: श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2: श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 व 2 उपस्थित।

<u>—: निर्णय :—</u> दिनांक: 27.09.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय के निवासी है। जो कि स्व. बीरबल पुत्र भौरया के वारिसान है। स्व. बीरबल के पिता भौरया की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी भूमि उसके तीनो पुत्रगण बीरबल, इन्द्राज व रेवड के नाम नामान्तरित हुई। स्व. बीरबल इन्द्राज व रेवड पुत्र भौरया का समान हिस्सा उक्त भूमि में अंकित हुआ। तीनो भाईयों की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी पूर्व खसरा नम्बर 93 रकबा 6 बीघा व 115 मिन रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय में स्थित है। स्व. बीरबल जो कि अपीलान्ट के पिता है की मृत्यू के बाद उक्त आराजीयात में स्व. बीरबल का हिस्सा 1 / 3 की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 98 उसके दो पुत्रों हरसहाय व कल्याण के नाम ही खोला गया जबकि अपीलान्ट किशनलाल का नाम नामान्तरकरण में उसके कनिष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी पटवारी हल्का ने अंकित नहीं किया। भू अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 17.6.89 को बिना जांच कर अंकन मुताबिक जमाबन्दी होना अंकित कर दिया एवं तहसीलदार ने बिना जांच राजस्व अभियान कैम्प फर्राशपुरा में दिनांक 17.6.89 को विरासत बीरबल बहक हरसहाय व कल्याण तस्दीक फरमा दिया एवं अपीलान्ट को स्व. बीरबल की विरासत से वंचित कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के बाद स्व. बीरबल, इन्द्राज व रेवड पुत्र भौरया के हिस्सा 1 / 6 की अन्य आराजी किता 2 रकबा 14 बिस्वा ग्राम मोहलाई का नामान्तरकरण पटवारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हल्का ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम दिनांक 12.05.1993 को विरासत बीरबल अंकित कर भरा व नामान्तरकरण की पुश्त पर बीरबल के दो पुत्रों हरसहाय व किलाण अंकित कर हरसहाय पुत्र बीरबल एवं कालू पूत्र कल्याण के नाम उसी दिन तस्दीक कर नामान्तरकरण संख्या 133 की कार्यवाही एक ही दिन में की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट किशनलाल पुत्र बीरबल द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 12.05.1993 ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय निरस्त करवाये जाने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडन्ट्स की गयी रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋद्धिचन्द शर्मा उपस्थित आये। तत्पश्चात् बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बीरबल के पिता भौरया की मृत्यु के उपरान्त उसकी खातेदारी भूमि उसके तीनो पुत्रों बीरबल, इन्द्राज, व रेवड के नाम नामान्तरित हुई। तीनो भाईयो की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पूर्व खसरा नम्बर 93 रकबा 6 बीघा व 115 मिन रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय में स्थित है। स्व. बीरबल जो कि अपीलान्ट के पिता है की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात में स्व. बीरबल का हिस्सा 1/3 की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 98 उसके दो पुत्रों हरसहाय व कल्याण के नाम ही खोला गया। जबकि अपीलान्ट किशनलाल का नाम नामान्तरकरण में उसके कनिष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी पटवारी हल्का ने अंकित नहीं किया। उक्त नामान्तरकरण के बाद स्व. बीरबल, इन्द्राज, रेवड पुत्र भौरया के हिस्सा 1/6 की अन्य आराजी किता 2 रकबा 14 बिस्वा ग्राम मोहलाई का नामान्तरकरण पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दिनांक 12.5.93 को विरासत बीरबल अंकित कर भर दिया व नामान्तरकरण की पुश्त पर बीरबल के दो पुत्रों हरसहाय व किलाण अंकित कर हरसहाय पुत्र बीरबल एवं कालू पुत्र कल्याण के नाम उसी दिन तस्दीक कर दिया। नामा. संख्या 133 की कार्यवाही एक ही दिन में की गई एवं अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार ने स्व. बीरबल के उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना नामान्तरकरण आदेश पारित कर न्यायिक त्रुटी कारित की है। तहसीलदार का स्व. बीरबल पुत्र भौरया के सभी पुत्रों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए था। अपीलान्ट स्व. बीरबल का उत्तराधिकारी है एवं अपीलान्ट के जायज अधिकार से अपीलान्ट को वंचित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का ने नामान्तरकण की पुश्त पर स्व. बीरबल के दो पुत्रों हरसहाय व कल्याण का ही नाम अंकित किया जबकि उन्हे इस तथ्य की भली प्रकार जानकारी थी कि अपीलान्ट किशनलाल स्व. बीरबल का पुत्र है। अपीलान्ट आराजी अंकित नामान्तरकरण वर्तमान खसरा नम्बर 248, 253, 340, 341 रकबा 5.33 है. ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय में स्व. बीरबल के हिस्सा 1/3 के हिस्सा 1/3 पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। अपीलान्ट का हक व आधिपत्य अपीलान्ट के स्व. बीरबल के प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने के कारण स्वयं सिद्ध है। प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश स्व. हरसहाय व कल्याण को ही बीरबल के पुत्रगण मानकर तस्दीक कर दिया। इस प्रकार से अपीलान्ट के हक अधिकारों का हनन हुआ है। अपीलान्ट को स्व. बीरबल का पुत्र होने के कारण उसके हिस्से की भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 12.05.1993 ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर स्व. बीरबल के उत्तराधिकारियों की जांच कर पुनः नामान्तरकण तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Offic

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 2 द्वारा निवेदन किया गया कि **अपीलान्ट किशनलाल स्व. बीरबल के भाई स्व. रेवड का दत्तक पुत्र है। इसलिये स्व.** बीरबल के हिस्से की भूमि में अपीलान्ट का कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को किसी भी जायज अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दिनांक 12.5.93 को विरासत का नामान्तरकरण सही भरा गया है। अपीलान्ट के किसी भी प्रकार के हक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार द्वारा खोला गया नामा. संख्या 133 दिनांक 12.05.1993 नियमो की पूर्ण पालना कर ही खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है **कि तहसीलदार सिकराय द्वारा वारिसान की जांच किये बिना व साक्ष्य सबूत लिये ही** उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक कर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकण संख्या 133 दिनांक 12.05.1993 खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वारिसान की जांच कर सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा